न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

तारीख रजू 11.12.2023

सिविल प्रकरण संख्याः– 112/2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. संजय पुत्र श्री राधेश्याम सैनी (विक्रेता) मैसर्स राधे स्वीट होम, बम्बोरी चौराहा, खेरदा, सवाई माधोपुर
2. राधेश्याम पुत्र श्री झंडू लाल (प्रोपराईटर) मैसर्स राधे स्वीट होम, बम्बोरी चौराहा, खेरदा, सवाई माधोपुर निवासी– सौरती बाजार शहर सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/51&54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 03.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 03.05.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर के बाहर स्थित सडक पर कई मावे की टोकरियां रखे देखी। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा व्यक्ति ने अपना नाम संजय सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी होना बताया एवं फर्म राधे स्वीट होम टोंक रोड खेरदा सवाई माधोपुर का विक्रेता एवं राधेश्याम माली को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रखी हुई मावे की कुल 4 टोकरी (एक टोकरी का वजन लगभग 40 किलोग्राम) को आम जनता को विक्रय हेतु अपने संस्थान/दुकान पर ले जाया जा रहा था मावे में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 01 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 200/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावे को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 20–20 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2854** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-2854** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/838 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1835/एक्ट/2023/1844 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** मावा **Sub Standard** as the extracted fat does not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 . This sample also **food containing extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of** Food Safety and Standards Act, 2006. प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा Sub-standard & Extraneous Matter मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जबाव पेश ना कर सीधे ही बहस कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-standard & Extraneous Matter मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त से **खाद्य पदार्थ** मावा का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 की ओर से न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1834/एक्ट/2023/1568 दिनांक 04.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** मावा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में जुर्म स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ मावा** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगा. 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **03.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर